भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1972/माघ 19, 1893

No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1972/MAGHA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1972

S.O. 125(E)/IDRA/18E/72.—Whereas the Central Government has, by its notified Order in the late Ministry of Commerce No. S.O. 3981, dated the 22nd December 1965, and as subsequently modified by its notified Orders in the Ministry of Foreign Trade Nos. S.O. 3495, dated the 24th October, 1970, and S.O. 1256, dated the 17th March, 1971, issued under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951) authorised Shri A. N. Singh to take over the management of the whole of the industrial undertaking called the Muir Mills Company Limited, Kanpur (hereinafter in this notification referred to as the 'industrial undertaking') for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations, subject to which the

Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as is applied thereto before the issue of the notified Order under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

SCHEDULE

Provision of the Companies Act, 1951	Exceptions, restrictions and limitations, subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1.	2.
293(1)(4)	This clause shall not apply in relation to the borrowing of money by the Authorised Controller for the purpose of running the mill.
294(2) & (2A)	These sub-sections shall not apply in relation to the appointment of sole selling agents requiring approval of the company in general meeting.

[F. No. 9(33)/71-D.P.I]
S. K. SAHGAL. Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972

का० आ० 125(अ)/आई० डी० आर० ए०/18 ई/72.—यत: उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के अधीन जारी किये गये भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 3981, दिनांक 22 दिसम्बर, 1965 के द्वारा जिसमें बाद में विदेश व्यापार मंत्रालय के अधिसूचित आदेश, सं० का० आ० 3495, दिनांक 24 अक्तूबर, 1970 तथा का० आ० 1256, दिनांक 17 मार्च, 1971 द्वारा संशोधन कर दिया गया, केन्द्रीय सरकार ने श्री ए० एन० सिंह को म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में 'औद्योगिक उपक्रम' कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें निर्दिष्ट कालावधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में उन अपवादों, निर्बंधनों और परिसीमाओं को निर्दिष्ट करती है जिसके अध्यधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम पर उसी रूप में लागू रहेगा जिस रूप में वह उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18क के अधीन अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उस पर होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1951 के उपबंध	वे अपवाद, उपांतरण और परिसीमाएं जिनके अध्यधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम पर लागू होंगे ।
293 (1) (घ)	मिल को चलाने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा धन उधार लेने के संबंध में यह खण्ड लागू नहीं होगा।
292 (2) तथा (2क)	एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए साधारण बैठक में कम्पनी के अनुमोदन की आवश्यकता के विषय में ये उपधाराएं लागू नहीं होंगी।

[सं० फा० 9(33)/71-एल० पी०]

सुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972